न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–2472 सन 2024

पूजा बनाम सचिन शर्मा आदि

10.03.2025

पत्रावली पेश हुयी।

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया परिवाद उपरोक्त की परिवादनी है। परिवाद उपरोक्त में परिवादनी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर दिनांक 19–08–2023 को ही अपना साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया और पत्रावली दिनांक 01–09–2023 को बहस तलबी में नियत कर दी गयी। मा० विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04–10–2023 को बहस सुनने के बाद दिनांक 17–10–2023 में पत्रावली आदेश में नियत कर दी गयी और दिनांक 17–10–2023 को प्रार्थिया मय अधिवक्ता जब मा० विचारण न्यायालय में गयी तो सम्बन्धित पेशकार महोदय द्वारा बताया गया कि आपकी फाईल आदेश में है और स्टैनो के पास है तथा हमारे न्यायालय में कई–कई महीने तक फाईल स्टैनो के पास ही रहती है, तब आदेश होता है। दिनांक 17–10–2023 से प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता लगातार मा० विचारण न्यायालय के चक्कर लगाते रहे और सम्बन्धित पेशगार अनिल द्वारा बताया जाता है कि आपकी फाईल मिल नही रही है, प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा कई बार मा० न्यायालय से फाईल गुम होने का शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया परन्तु पहले तो सम्बन्धित पेशगार अनिल द्वारा उसे पेश ही नही किया गया और यदि मा० न्यायालय के समक्ष पेश भी कर दिया तो मा० न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली ढूंढने के लिये कोई कार्यवाही नही की गयी और पत्रावली पेशकार अनिल व स्टैनो द्वारा ही विपक्षी से साज कर दिनांक 17–10–2023 से 23–08–2024 तक करीब एक वर्ष गायब की जाती रही जिसमें सम्बन्धित पेशगार अनिल द्वारा फर्जी व झूठी आर्डर लिखी जाती रही और प्रार्थिया को पत्रावली पर अधिकांश नियत तिथियो पर अनुपस्थित दर्शाया गया है और कुछ तिथियो पर प्रार्थिया अधिवक्ता को फर्जी तरीके से उपस्थित दर्शाया गया है जबकि किसी भी अधिवक्तागण के हस्ताक्षर पत्रावली पर अंकित नहीं है, इससे साफ स्पष्ट है कि सम्बन्धित पेशगार अनिल द्वारा फर्जी व झूठी आर्डर सीट लिखी गयी है तथा प्रार्थिया से धोखा घडी व भा० न्यायालय को गुमराह करके अब तक उक्त पत्रावली में तलबी आदेश भी नहीं होने दिया। उक्त पत्रावली दिनांक 06–09–2024 से पुनः सम्बन्धित पेशगार द्वारा गायब कर दी गयी और लगातार फर्जीव झूठी आर्डर सीट लिखी जाती रही है। दिनांक 26–11–2024 को जब सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा मुआयना करने हेतू प्रार्थना पत्र दिया गया तो अनिल पेशगार ने अपनी ही अलमारी में से प्रार्थिया की फाईल निकालकर प्रार्थिया के हस्ताक्षर करा लिये और प्रार्थिया से कह दिया गया कि आज अर्जेन्ट फाईल ही सुनी जायेगी। जैसाकि अक्सर प्रत्येक दिन ए०सी० जे०एम०, अनूपशहर द्वारा अर्जेन्ट फाईल अक्सर सुनी जाती

Digitally signed by SUNIL KUMAR TRIPATHI
Date: 2025.03.10 17:37:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रही हैं। प्रार्थिया को अब पूरा विश्वास हो गया है कि अनिल पेशगार विपक्षीगण से साज किये हुये है क्योकि प्रार्थिया, अधिवक्ता ने दिनांक 02–12–2024 को पत्रावली की सम्पूर्ण आर्डर सीट की सत्यापित कापी के लिये आवेदन किया तो सम्बन्धित पेशगार ने अपने प्रभाव से नकल भी जारी नही होने दी और जब दिनांक 23–12–2024 को इसकी शिकायत नकल हेतू की गयी तो शिकायती प्रार्थना पत्र को मा० विचारण न्यायालय द्वारा भी नजरअंदाज कर प्रार्थिया को नकल नही दिलायी गयी। प्रार्थिया, अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01–01–2025 को डाक से एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा, जिसे पत्रावली से गायब करना सम्भव नही था तो शिकायती प्रार्थना पत्र के प्रभाव से दिनांक 04–12–2024 को प्रार्थिया को सम्पूर्ण आर्डर सीट की नकल जारी की गयी, इससे साफ स्पष्ट है कि दिनांक 04–10–2023 से मा० न्यायालय द्वारा अपने प्रभाव से जानबूझकर उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज तक नही की गयी और सम्बन्धित पेशगार अनिल द्वारा झूठी व फर्जी आर्डर सीट लिखी गयी जिस कारण तलबी आदेश अभी तक नही हो पाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया को विचारण न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थिया को शुलभन्याय नही मिल पा रहा है और न्याय मिलने में अकारण ही देरी हो रही है। सम्बन्धित पेशगार अनिल द्वारा विपक्षी से साज किये जाने के कारण वह अनूपशहर के दूसरे न्यायालय मा० सिविल जज महोदय अनूपशहर के न्यायालय में भी अपने प्रभाव से उक्त पत्रावली की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिवाद को न्यायालय श्रीमान ए०सी० जे०एम० महोदय अनूपशहर के न्यायालय से जनपद मुख्यालय स्थित अपने न्यायालय अथवा किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त कारणो से परिवाद संख्या 57 सन 2023 श्रीमती पूजा बनाम सचिन शर्मा आदि अर्न्तगत धारा 406 आई०पी०सी० थाना डिबाई मा० न्यायालय ए०सी० जे०एम०, अनूपशहर (बुलन्दशहर) के न्यायालय से जनपद मुख्यालय स्थित अपने न्यायालय अथवा किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने की कृपा करे।

सम्बन्धित न्यायालय की आख्यानुसार उक्त पत्रावली को किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मे उल्लेखित कथनों के आधार पर उपरोक्त वाद का अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की है। उपरोक्त लम्बित प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय के किसी कर्मचारी द्वारा न्यायालय के किसी भी प्रकरण/वाद की कार्यवाही को प्रभावित नही किया जा सकता। प्रार्थी के प्रार्थी द्वारा मात्र अपने परिवाद को स्थानान्तरित किये जाने के लिए उक्त मनगढन्त आरोप पीठासीन अधिकारी/न्यायालय पर लगाया जाना प्रतीत होता है।

In case title **Mohd. Sarfaraz vs. Mohd. Abid and 3 others, Transfer Application (Civil) No. 528 of 2022, order dated 29.08.2022** While dismissing a plea filed seeking transfer of a civil case to another court, the Hon'ble Allahabad High Court recently remarked that a mindset has developed among the general public to overawe judges by complaining and maligning them on baseless allegations.

In **Hari Singh vs. Ram Shyam Bihari and 20 others,** Hon'ble Allahabad High Court has held in para no. 07 that-

The system of justice works on the edifice of fearlessness in the hearts of those, who man it-whether they be the Judges or the lawyers. If allegations of this kind are entertained by a Superior Court against member of the Subordinate Judiciary, from unscrupulous litigants, it is impossible to expect delivery of justice from a demoralized judiciary, living in perpetual fear. Every litigant, whose case is called on for hearing, expects an order in his favour. However, if the Court passes an adverse order, the litigant has no right to malign the Judge with irresponsible and frivolous allegations. In this regard, reference has to be made to a recent decision of the Supreme Court in Anupam Ghosh and another v. Faiz Mohammed and Others, Transfer Petition (C) Nos. 2331-2334 of 2021 decided on 02.09.2022, where it has been observed by their Lordships :

"One of the grounds on which the proceedings are sought to be transferred is that the petitioners believe that they are not getting a fair trial and the respondents being local bigwigs are able to influence the local Court. We deprecate such a stand and the ground on which the proceedings are sought to be transferred. Merely because some Orders are passed on judicial side (in the present case in the execution proceedings) which may be against the petitioners, it cannot be said that the Court, which passed the order was influenced. If the petitioners are aggrieved by any judicial order, the proper remedy would be to challenge the same before higher forum. But merely because some Orders adverse to them are passed by the Court, it cannot be said that the Orders on judicial side are passed under influence. Nowadays, there is a tendency to make such allegations against the judicial Officers whenever the orders are passed against a litigant and the orders are not liked by the concerned litigant. We deprecate such a practice. If such a practice is continued, it will ultimately demoralize the judicial officer. In fact, such an allegation can be said to be obstructing the administration of justice."

प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में लिये गये आधार कपोल– कल्पित, भ्रामक तथा मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में दिये गये कथनों में बल प्राप्त होता हो। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो के दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 450 भारतीय न्याय संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सुनील कुमार त्रिपाठी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

बुलन्दशहर।

Ahmad Fazal

Steno